टिप्पणी

4

निजी या वैयक्तिक कानून - ईसाई, पारसी तथा यहूदी कानून

पिछले पाठ में आपने देखा है कि हिंदू तथा मुसिलम निजी या वैयक्तिक कानूनों ने हमारी कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं। इस पाठ में, ईसाई, पारसी तथा यहूदी के निजी कानून की चर्चा करेंगे, जैसा कि ये हमारी कानून प्रणाली में शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईसाई पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं और यद्यपि ये हिंदुओं और मुसलमानों के पश्चात् तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। यदि आप गोवा, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय तथा नागालैंड में जाएं तो आप वहां बिना किसी कठिनाई के इन लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों में ये बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। पारसी एक दूसरा धार्मिक समुदाय है, जो विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, पूरे भारत वर्ष में इनकी जनसंख्या लगभग 70,000 है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पति श्री फिरोज गांधी, रतन टाटा (विख्यात उद्योगपति) तथा मार्शल सेम मानिकशाह (सशस्त्र बलों के एक भूतपूर्व विख्यात मार्शल) कुछ ऐसे महान नाम हैं, जो पारसी समुदाय से हैं। यहूदी भी भारत का एक अन्य समुदाय है, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं का अनुसरण कर रहा है। ये मुख्य रूप से मुंबई तथा महाराष्ट्र व गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में हैं। भारत में यहूदी समुदाय के कुछ महान नामों में डेविड सेसन (मुंबई में चर्च गेट के सामने सेसन पुस्तकालय है) तथा रूथ प्रवेर झबवाला (प्रसिद्ध लेखक) शामिल हैं।

उद्देश्य

इस पाठक के अध्ययन के पश्चात आप :

- ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय के निजी या वैयक्तिक कानून और हमारी कानून प्रणाली में इसके समावेश का वर्णन कर पाएंगे;
- ईसाई, पारसी और यहूदी के प्रथागत कानून के महत्व को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि उन्हें हमारी कानूनी प्रणाली में किस प्रकार स्वीकार किया गया है;
- ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय के लिए निर्मित विधान की मुख्य विशेषताओं का आकलन कर पाएंगे;

- ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय के निजी कानून के निर्माण में न्यायिक पूर्व-निर्णयों की भूमिका को जान पाएंगे; एवं
- मिश्रित कानून प्रणाली और उसके महत्व को पहचान पाएंगे।

4.1 ईसाई, पारसी और यहूदी कानून में रीति-रिवाजों की भूमिका

पाठ के इस भाग में, हम इन धार्मिक समूहों के जीवन तथा कानूनी प्रणाली में परंपरागत नियमों के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे।

4.1.1. ईसाई कानून में रीति-रिवाजों (Custom) की भूमिका

रीति-रिवाज भारत में ईसाई समुदाय के जीवन और कानूनी प्रणाली में महत्वूपर्ण भूमिका अदा करते हैं। मालाबार में एक ईसाई समुदाय है, जो मालांकर जेकोबिट सीरियन ईसाइयों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस समुदाय की उत्पत्ति के संकेत वर्ष 52 ईसा पश्चात में पाए जाते हैं, जब जीजस क्राइस्ट के एक अनुयायी सेंट थॉमस मालाबार में आए थे और उन्होंने वहां एक चर्च की स्थापना की थी। वे हूदयान केनन से शासित हैं और उनकी सभी परंपरागत रीतियां इसमें विधिबद्ध हैं। केरल तथा भारत के अन्य भागों में अन्य किस्म के सीरियन ईसाई विद्यमान हैं। जब पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी भाग (गोवा, दमन, दयू) में अपना शासन स्थापित किया था तो वे रोमन कैथोलिक चर्चों को स्थापित करने में सफल रहे थे। उन्होंने पाया कि सीरियन ईसाइयों के रीति और रिवाज रोमन कैथोलिक चर्च के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए इन चर्चों द्वारा विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत संबंधी परंपरागत रीतियों को संहिताबद्ध (गिरजा कानून की संहिता) तथा क्रियान्वित किया गया था। तथापि सीरियन ईसाइयों ने अपने स्वयं के धार्मिक रीतियों का अनुसरण बंद नहीं किया और उनकी परंपराएं पूर्वी (ओरिएंटल) चर्चों के गिरजा संहिता से विनियमित है। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान पूरे भारतवर्ष में ईसाइयों द्वारा इन गिरजा पारंपरिक कानूनों का अनुसरण किया जा रहा था और इन्हें दो विशिष्ट विधानों के द्वारा आधुनिक बनाया गया था अर्थात् भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, ईसाई अपनी परंपरागत रीतियों में तलाक को मान्यता नहीं देते हैं और उनके विवाहों को सांस्कारिक माना जाता है।

इन गिरजा नियमों और रीतियों को भारत के न्यायालयों में भी प्रयोग किया जाता था। ईसाई भारत में गिरजा कानून द्वारा निर्धारित विवाह के स्वरूप का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं। भारत में परंपरागत रीतियों के अनुसार ईसाईयों में विवाह के समारोह को वही व्यक्ति निष्पादित कर सकता है, जिसे धर्माध्यक्षीय दीक्षा प्राप्त हो। रोमन कैथोलिक चर्च के केनन 88 के अंतर्गत, 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति वयस्क है। केनन 1607 में प्रावधान है कि एक लड़का जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तथा एक लड़की जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह वैद्य विवाह का संविदा नहीं कर सकते हैं। केनन 1934 में कहा गया है कि पादरी को अवयस्क बेटों और बेटियों को उनके माता-पिता की युक्तिसंगत इच्छाओं के विपरीत विवाह करने से रोकना चाहिए। भारत के कानून में इन सैंद्धांतिक रीतियों को मान्यता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों ने यह भी कहा है कि विवाह के उद्देश्य से प्रतिबंधित डिग्रियां वे हैं, जो

उस चर्च के पारंपरिक कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित है, जिस चर्च को वे पक्ष मानते हैं। इसलिए यदि एक व्यक्ति और इसकी ममेरी बहन (मामा की बेटी) के बीच विवाह होता है तो हालांकि यह प्रतिबंधित हैं, किंतु चर्च इस प्रतिबंध को हटा सकता है (केनन 1052)। लक्ष्मी सान्याल बनाम सचित कुमार धर के मामले (1972) में, उच्चतम न्यायालय ने गिरजा कानून की इस स्थिति को स्वीकार किया है।

उत्तराधिकार और उत्तराधिकारी के मामले में, ईसाईयों ने लंबे समय से अपने स्थानीय परंपरागत रीतियों का अनुसरण किया है। सामान्यत: शाखीय ज्येष्ठाधिकार का नियम लागू होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके ज्येष्ठ पुत्र को उसकी संपत्ति मिलती है। पति की मृत्यु पर ईसाइयों की पत्नियों को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। दत्तक ग्रहण के मामले में पंजाब के ईसाई लंबे समय से दत्तक ग्रहण की परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। केरल के सीरियन ईसाइयों में अपने दामाद को दत्तक ग्रहण करने की परंपरा विद्यमान है। जहां दंपत्ति का कोई पुत्र नहीं होता है, वहां ज्येष्ठ पुत्री के पति को दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है।

बहरहाल, भारत में अनेक ईसाइयों ने हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं को अपना लिया है। उदाहरण के लिए, कूर्ग और पांडिचेरी के ईसाई केवल हिंदू रीति-रिवाजों का ही अनुसरण कर रहे हैं। झारखंड, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर में अनेक परिवर्तित ईसाई हिंदू परंपरागत नियमों का ही अनुसरण कर रहे हैं।

क्रियाकलाप 4.1.1

ईसाई भारत के हर भाग में निवास कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, वहां भी आपने कुछ चर्चों, मिशनरी स्कूलों को देखा होगा। इन स्थानों में जाएं और वहां ईसाई धर्म का अनुसरण करने वाले ईसाईयों से मिलें और उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं के बारे में जानें। उनके धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीति-रिवाजों की सूची तैयार करें और देखें कि कैसे उन्होंने अपने इन रीति-रिवाजों को संरक्षित रखा है और क्यों हमारे समाज ने इन्हें स्वीकार किया है।

4.1.2. पारसी कानून में रीति-रिवाजों की भूमिका

विवाह से संबंधित रिवाज-

पारसी अप्रवासी पारसियों के अरब पर आक्रमण करने वाले राजाओं द्वारा धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भागकर भारत आए थे। अप्रवासी पारसियों ने उस स्थान के रीति-रिवाजों को अपनाया, जहां उन्हें पहले आसरा मिला। पारसी विविध धार्मिक संस्कारों का अनुसरण करते हैं, जो जन्म के समय आरंभ होते हैं, जब शिशु को जोरेस्टियन धर्म में प्रवेश कराने के लिए 'नवजोति' की रीति की जाती है। उनके विवाह समारोह सूर्यास्त के पश्चात होते हैं, किंतु वे अपने धार्मिक ग्रंथ 'वेस्टा' के अनुसार विवाह अपनी परंपरागत रीतियों का अनुसरण करते हैं। विवाह के दौरान पादरी (दस्तूक जी) धार्मिक रीतियों को संपन्न करता है और दूल्हे-दुल्हन की 'हथेवोरा (बायां हाथ-फास्टिंग) रीति पूरी हो जाती है। अपने धार्मिक ग्रंथों से प्रार्थनाओं का पाठ

करते हुए विवाह संपन्न होता है। जब पादरी (दस्तूर जी) विवाह को प्रमाणित करते हैं, तभी विवाह संपन्न माना जाता है। पारसी दस्तूर जी धार्मिक रीति-रिवाजों को संपन्न नहीं कर सकता है, यदि पारसी लड़का गैर-पारसी लड़की से या पारसी लड़की गैर-पारसी लड़के से विवाह करता है। पारसी इस परंपरा पर विश्वास करते हैं कि एक व्यक्ति केवल जन्म से ही पारसी हो सकता है। इसलिए, यदि कोई हिंदू व्यक्ति स्वयं को पारसी धर्म में परिवर्तित करना चाहता है तो उसे कोई पारसी सामाजिक या धार्मिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि एक पारसी लड़की किसी गैर-पारसी लड़के से शादी करती है तो वह पारसी संपत्ति तथा समाज के सभी अधिकारों को खो देगी। उदाहरण के लिए जे.आर.डी. टाटा ने एक फ्रेंच ईसाई महिला से विवाह किया और उस महिला ने अपना धर्म परिवर्तित करके पारसी धर्म को अपनाया, किंतु उसे पारसी समाज का कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया। तथापि, उनके विवाह से उत्पन्न शिशु को पारसी समाज में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। परिवर्तित पारसियों को उनके धार्मिक स्थलों में प्रवेश तथा किसी धार्मिक समारोहों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है।

दत्तक ग्रहण (adoption) से संबंधित रीति-रिवाज

पारसियों में दत्तक-ग्रहण के लिए पुत्र या 'पलक' को नामित करने की सुविख्यात 'परंपरा' विद्यमान है। मौजूदा पवित्र एवेस्टा स्क्रिप्चर्स में इस धार्मिक आज्ञा का कोई प्रत्यक्ष संदर्भ नहीं है। 'पलक' दत्तक ग्रहण इस अर्थ में नहीं है कि बच्चे को दत्तक ग्रहण करने वाले पिता के परिवार में सभी अधिकारों, सामाजिक, धार्मिक या नागरिक के साथ ग्रहण किया जाए। यह दत्तक ग्रहण पुत्र को कोई अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं है, किंतु उस पर दायित्व डालने के रूप में है अर्थात् दत्तक ग्रहण पिता की मृत्यु के पश्चात के अनुष्ठानों को पूरा करने का दायित्व ताकि अगले संसार में मृत पिता की रूह की यात्रा सफल रहे। इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि पारसी समुदाय में दत्तक ग्रहण की रीति अन्यों की तुलना में पूर्णत: भिन्न है, जहां दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में दत्तक पुत्र या पुत्री को सभी नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

उत्तराधिकार (Succession) की रीति

उत्तराधिकार के मामलों में, वर्ष 1865 में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कानून के संहिताकरण तक भिन्न 'रीतियों' का अनुसरण किया जा रहा था। विवाह संबंधी विवाद, उत्तराधिकारी, घरेलू झगड़ों तथा भूमि संबंधी आदि मुद्दों का निर्णय देने का न्यायाधिकार पारसी पंचायतों (या पारसी अंजुमन) को दी गई थी। यदि मृत व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी संपत्ति पंचायत के पास चली जाती थी, जिससे पारसियों को आवश्यकता से समय धन संबंधी मदद प्रदान की जाती थी, जैसे अत्यधिक गरीबी जिसके कारण व्यक्ति भीख मांगने या वेश्यावृति के लिए मजबूर हो जाए। ये पंचायतें पारसी समुदाय के प्रबुद्ध और प्रभावशाली व्यक्तियों से बनती थी। ये निकाय 'टॉवर ऑफ साइलेंस' की देख-रेख के लिए उत्तरदायी थे, जो कि पारसियों का अंतिम विश्राम स्थल हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मुफस्मिल क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने 'परंपरागत कानूनों' द्वारा शासित थे, जबकि प्रेसिडेंसी क्षेत्र में रहने वाले अंग्रेजी कानून द्वारा शासित थे। उदाहरण के लिए, मुफस्मिल क्षेत्र में पारसी महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद केवल निर्वाह भत्ते का अधिकार होता थ। उपनिवेशिक नगर में, बहरहाल, विधवा को पति की संपत्ति में एक-तिहाई स्तर तक पूर्ण अधिकार था। उपनिवेशिक क्षेत्र में मृत व्यक्ति की पुत्री को पुत्र के समान दर्जा दिया जाता था।

क्या आप जानते है

भारत में पहली पारसी बस्ती सन् 716 एडी के लगभग गुजरात में 'संजन' नामक गांव में स्थापित हुई थी। तत्पश्चात इस क्षेत्र में जदि राना नामक हिंदू सरकार ने राज्य किया, जिसने चार शर्तों पर पारसियों को यहां अपनी बस्ती बनाने की अनुमति प्रदान की : (क) पारसी इस देश की भाषा को अपनाएंगे; (ख) वे अपने पास हथियार नहीं रखेंगे; (ग) उनकी महिलाएं हिंदुओं की वेशभूषा पहनेंगी और; (घ) वे अपनी शादियां हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार सूर्योदय के पश्चात् करेंगे। पारसी लोग इन शर्तों पर सहमत हो गए और वहां अपनी बस्ती बना ली, तथापि उन्होंने अपने पारसी धर्म (जोरोस्टियन) तथा परंपराओं को नहीं त्यागा, जैसे 'यादगार उत्सव'।

4.1.3. यहूदी कानून में 'रीति-रिवाज' का महत्व

भारत में यहूदी समुदाय छोटा समुदाय है, जो यहूदी धर्म (Judaism) का अनुसरण करते हं। यहूदी कानून के मुख्य स्रोत 'मोजैक संहिता' है, पैंट्यिच में बनाया गया था, जो यहूदी धर्म के प्राचीन काल में विद्यमान था और जिसे कुछ परिवर्तन के साथ 'विधि-विवरणों' में दोहराया गया है। 'मोजैक संहिता' का व्यापक ऐतिहासिक महत्व है और जीवन में आने वाली परिवर्तित स्थितियों को अपनाने के उपरांत संपूर्ण विश्वभर में यहूदी लोगों के घरेलू जीवन में भी प्रभाव पड़ा है। बाद में यहूदी कानून को 'टैल्मड' (संत चरित्र का संग्रह) में निर्धारित किया गया था। वह कृति, जो यहूदियों के परंपरागत कानूनों में समाविष्ट है। टैल्मड में निर्धारित विवाह संबंधी कानून 'मोजैक संहिता' का व्याख्यान तथा संवर्धन स्वरूप है। यह 'मिशना' तथा 'गेमारा' में विभाजित है और 'मिशना' में यहूदियों की लगभग सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियम हैं और 'गैमारा' में इन नियमों, टिप्पणियों या व्याख्यान या चर्चाएं विद्यमान हैं। मध्य काल में यहूदी धर्म के वक्तव्यों को रेब्बीस के संस्थानों में निर्मित किया गया था, किंतु पुराने रेबेनिकल संहिता के सिद्धांतों में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए गए थे, ताकि इन्हें विश्व के विभिन्न कानूनों के अनुरूप बनाया जा सके। रेब्बी स्वयं एक सिविल जज नहीं है, बल्कि एक धार्मिक मार्गदर्शक है और अपने धार्मिक समाज का शिक्षक है। मध्य काल में व्यावहारिक प्रयोग के लिए टैल्मिड से संहिताओं को समेकित किया गया था और कानून को सोलहवीं शताब्दी में 'शुलेचन अरच' के रूप में संहिताबद्ध किया गया था, जिसके तीसरे भाग, 'एबेन-हा-एजर' में यहूदियों के विवाह संबंधी कानून समाविष्ट हैं और जिसमें विवाह और तलाक के सभी प्रश्नों के सामान्य प्राधिकार उपलब्ध हैं।

विवाह संबंधी रीति-रिवाज

यहूदियों में विवाह की परंपरागत विधि ईसाइयों और अंग्रेज लोगों से भिन्न होती है। रोमन कैथेलिक चर्च विवाह को परम संस्कार और इस प्रकार अवियोज्य मानते हैं। अंग्रेजों के कानून के अनुसार, विवाह को एक करार माना जाता है। यहूदी कानून विवाह को न केवल एक सिविल करार मानता है, बल्कि दो लोगो के बीच एक संबंध के रूप में भी देखता है, जिसमें बहुत पवित्र दायित्व शामिल होते हैं। मूसा-संहिता कानून में विवाह का संपन्न करने को कोई निर्धारित रूप नहीं बनाए गए हैं, किंतु उसमें मंगतेर तथा विवाहित महिला में अंतर बताया गया है। मंगेतर

विवाह को 'अरूशा' और विवाहित महिला को 'निस्सुआ' कहते हैं। आगे चलकर यह प्रथा कतिपय कानूनी औपचारिकताओं में सृजित की गई और विवाह के कार्य में दो भिन्न भाग शामिल हो गए, यथा-सगाई (betrothment) तथा विवाह संस्कार (nuptials) यहूदी धर्म में एक लड़की तब तक मंगेतर नहीं बनती है, जब तक कि उसकी सहमति से सगाई की रीति नहीं की जाती है। यहूदी कानून के अंतर्गत एक लड़की, जो नाबालिग है अर्थात् जो तेरह वर्ष और एक दिन की आयु से भी कम है, उसकी सगाई नहीं हो सकती है। यहां पुरुष की सहमति भी आवश्यक है। बहरहाल, सगाई करने के लिए केवल दोनों पक्षों की सहमति ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ निश्चित क्रियाएं तथा औपचारिकताएं आवश्यक हैं, जिसके द्वारा आपसी सहमति को कानूनी रूप से स्वीकार किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, दो विशेष औपचारिकताएं हैं। इनमें से एक को 'कासेफ' (पैसा) कहते हैं और दूसरे को 'शतार' (लिखित पत्र) कहते हैं। 'कासेफ' के माध्यम से सगाई को 'कासेफ किद्दुशिम' कहते हैं और मूसीज या इजरायली कानून के अनुसार जिसमें पुरुष दो साक्षियों की उपस्थिति में लड़की को धन की राशिया या समान मूल्य की कोई वस्तु देता है और साथ ही हिब्रू में इस कथन को कहता है, 'बी दो कंसर्टिट टू मी' या 'मेरी पत्नी बनो' या 'मेरी बन जाओ'। साक्षी भी यहूदी होने चाहिए।

सगाई को मृत्यु या तलाक के औपचारिक की प्रक्रिया द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। यहूदी परंपरागत कानून तलाक को मान्यता देता है। पुराने रेबिनिकल कानून द्वारा तलाक के चार प्रकारों को मान्यता प्रदान की गई है : (क) आपसी सहमति द्वारा तलाक, (ख) पति के अनुरोध पर पत्नी को तलाक देना, (ग) पत्नी के अनुरोध पर पति को तलाक देना, (घ) किसी भी पक्ष द्वारा अनुरोध किए बिना यहूदी कानून द्वारा तलाक लागू करना। एक लड़की शादी या सगाई के बाद तलाक के बिल के लिए अनुरोध कर सकती है। तलाक का बिल उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जिसने उस व्यक्ति को तलाक दिया है, जिसने उसकी मांग की है।

उत्तराधिकार और विरासत संबंधी रीति-रिवाज-

इसी प्रकार उत्तराधिकार और विरासत के मुद्दों पर यहूदी परंपरागत विधियां 'पेंट्युच' (पहले उल्लिखित धार्मिक ग्रंथ) द्वारा तथा यहूदियों द्वारा अपनी बस्तियों में स्थापित अनुरंजन समितियों द्वारा विनियमित हैं। जब ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान उत्तराधिकार का कानून संहिताबद्ध हुआ और उसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 कहा गया था, उस समय यहूदी लोगों ने स्वयं पर इसके अनुप्रयोग के विषय में कुछ नहीं कहा था। जब कुछ यहूदियों को लगा कि यह कानून 'पेंट्युच' पर आधारित उनकी परंपरागत रीतियों के अनुरूप नहीं हैं तो उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष याचिका दायर की, जिसके पास किसी भी जाति, पंत तथ राजनीति को इस अधिनियम के अनुपालन से छूट प्रदान करने की शक्ति थी। ब्रिटिश सरकार ने इस मान को मान लिया और यहूदी पुनः 'पेंट्युच' का अनुसरण करने लगे थे।

? क्या आप जानते है

भारतीय यहूदियों की उत्पत्ति निश्चित है, किंतु कुछ तथ्यों के अनुसार वे सोलोमान राजा के साम्राज्य से दूत बनकर आए थे। जब सन् 70 एडी में रोम के राजा वेस्पेसिन द्वारा जुडेया साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया था, तब यहूदियों ने विश्व के लगभग

सभी भागों में प्रवास करना आरंभ कर दिया था। भारत में यहूदियों को व्यापक रूप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है : (क) कोची के यहूदी, जो भारत में लगभग 2500 वर्ष पूर्व आए थे और व्यापारियों के रूप में केरल में रहने लगे। (ख) बेने इजराइल यहूदी, जो भारत में लगभग 2100 वर्ष पूर्व आए थे और उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात राज्यो में अपनी बस्तियां बसाई। (ग) बगदादी यहूदी जो ईरान, ईराक तथा अफगानिस्तान से 18वीं शताब्दी में यहां आए थे और वे मुंबई और कोलकाता में स्थापित हुए। उन्होंने अपने स्वयं के छोटे समुदाय स्थापित किए और अपने मिलने व प्रार्थनाओं के स्थानों जिन्हें 'सिनेकवगस' कहते हैं, का निर्माण किया, वे बाईबल का पाठ करते और 'सैबत' और 'सुन्नत' करते। यह रोचक तथ्य है कि भारत में यहूदियों का सबसे बड़ा समुदाय बेने इजराइली समुदाय यह मानता है कि दूसरी सदी बीसी में उत्पीड़न से भागते समय उनके पूर्वज का जलपोत भारत के तट पर टूट गया था।

पाठगत प्रश्न 4.1

1. भारत में ईसाइयों के मुख्य रीति-रिवाज क्या हैं?
2. पारसियों ने भारत के स्थानीय रीति-रिवाजों को क्यों अपनाया?
3. भारत में यहूदियों की विवाह संबंधी रीति-रिवाज क्या हैं?
4. रिक्त स्थान भरें-

1. ..... ने ईसाइयों के जीवन तथा कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। (रीति-रिवाज, कानून, समझौते)
2. भारत में अनेक ईसाइयों ने ..... रीति-रिवाजों और विधियों को अपनाया। (हिंदू/ पारसी/ यहूदी)
3. पारसियों में ..... के लिए पुत्र या 'पलक' के अनुरक्षण की एक मान्यता प्राप्त रीति विद्यमान है। (दत्तक ग्रहण, विवाह, तलाक)

4.2 ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म में विधान और न्यायिक पूर्व-निर्णय की भूमिका

पाठ के इस भाग में हम ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म में विधान और न्यायिक पूर्व-निर्णय की भूमिका पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस तथ्य से अवगत हो गए होंगे कि विधान ने एक स्थान में किसी क्षेत्र से संबंधित परंपरागत विधियों और नए नियमों के संहिताकरण में प्रमुख भूमिका अदा की है। इसी प्रकार, किसी मामले में न्यायिक पूर्ण-निर्णयों के निर्धारण के लिए न्यायाधिकार के उच्चतर न्यायालयों को प्राधिकार प्रदान किया गया है, जहां विधान समस्या का समाधान उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है और परंपरागत विधियों को विधान द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। सर्वप्रथम, हम ईसाई कानून में विधान तथा न्यायिक पूर्व-निर्णयों की भूमिका का विश्लेषण करेंगे।

4.2.1 ईसाई धर्म में विधान तथा न्यायिक पूर्व-निर्णय की भूमिका

विवाह का विधान-

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान व्यक्तिगत विषयों से संबंधित विशिष्ट विधान को संहिताबद्ध किया गया था। शब्द 'भारतीय ईसाई' को ईसाई धर्म को अपनाने वाले तथा इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति, जो ईसाई धर्म में धर्मान्तरित हुए हैं, भी शामिल हैं और साथ ही साथ सामान्य धर्मान्तरितों के रूप में ईसाई विवाह अधिनियम में परिभाषित किया गया है। धर्मान्तरित को न केवल बपतिस्मा किया हुआ होना चाहिए, बल्कि ईसाई परंपराओं के अनुसार ईसाई धर्म का अनुसरण भी करना चाहिए। ईसाई धर्म से संबंधित अनेक विशेष कानून विद्यमान हैं। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम को वर्ष 1872 में संहिताबद्ध किया गया था। इस अधिनियम में भारत में ईसाई धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों के विवाहों के विधिवत् संपादन से संबंधित नियमों को समेकित तथा संशोधित किया गया है। इस अधिनियम को अब कन्याकुमारी जिले तक लागू कर दिया गया है और वर्ष 1995 में तमिलनाडु के निरूनोलवेल्ली-कट्टबोम्मन जिले के सेचेन्नटक ताल्लूक तक लागू कर दिया गया है। ईसाई तलाक पर नियम को 'तलाक अधिनियम, 1869' के नाम से संहिताबद्ध कर दिया गया है। इस अधिनियम को 2001 में संशोधित किया गया है, जिसके तहत आपसी सहमति से तलाक की अनुमति है।

दत्तक ग्रहण का विधान-

भारत में ईसाईयों द्वारा 'दत्तक ग्रहण' का संभवकारी या विनियामक कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं है। जो लोग एक नाबालिग बच्चे का दत्तक ग्रहण करना चाहते हैं, वे सामान्यत् इसके लिए कोर्टस ऑफ वार्डस अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालय से अनुरोध करते हैं ताकि उन्हें उसे नाबालिग बच्चे की संरक्षकता प्राप्त कर सकें। बहरहाल, इस अधिनियम के अंतर्गत यह आदेश उस समय लागू नहीं होते हैं, जब वह बच्चा वयस्क हो जाता है और इस प्रकार दत्तक पुत्र या पुत्री बनाने के बच्चे के लाभ समाप्त हो जाते हैं। 'किशोर न्याय' (बाल देख-रेख तथा संस्मरण) अधिनियम, 2006 बनने के पश्चात इस स्थिति में परिवर्तन हुआ है, जिसे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और नियमों के साथ पढ़ा जाता है, जिसके अंतर्गत ईसाई लोग अब दत्तक ग्रहण कर सकते हैं।

उत्तराधिकार का विधान-

जहां तक उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दों का संबंध है, ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित हैं। यह कानून ईसाईयों और पारसियों की अचल संपत्ति के निर्वसीयता और वसीयती उत्तराधिकार को शासित करता है। गोवा, दमन और दयु (प्रशासन) अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार, गोवा में पुर्तगी सिविल संहिता लागू है। सेशन की संधि, 1956 के अनुसार पुडुचेरी में फ्रैंच सिविल संहिता अभी भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, मेघालय के गारो भी इस उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। वे उत्तराधिकार के अपने अपनी परंपरागत मातृवंशीय प्रणाली का अनुसरण करते हैं।

न्यायिक पूर्ण-निर्णय

ईसाइयों से संबंधित न्यायित पूर्व-निर्णयों को समझना अत्यंत आवश्यक है। विवाह संबंधी एक मामले के निर्णय में, मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एक अवयस्क पुत्री के विवाह

के लिए उसके पिता की सहमति आवश्यक है। इस मामले में जब पिता की सहमति प्राप्त नहीं हुई तो लड़के ने जाल- साजी द्वारा लड़की के जन्म के वर्ष को बदल दिया ताकि लड़की के पिता से सहमति प्राप्त न करनी पड़े और इसे विधि संगत नहीं माना गया (मोसेलीन मैरी बनाम रवि गणेसेल्वम)। एक अन्य मामले के निर्णय में, उसी न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि किसी विवाह समारोह को पादरी द्वारा आधिकारिक रूप से संचालित नहीं किया जाता है और वह विवाह चर्च में नहीं होता है तो वह विवाह चर्च की नजरों में विवाह नहीं माना जाता है, चाहे विवाह होने से कुछ सप्ताह पूर्व दस्तावेज तैयार कर लिए गए थे ताकि दहेज का प्रावधान हो सके (एस. सेल्वराज बनाम मार्थ पीटर)।

तलाक के एक अन्य मामले में, उच्च न्यायालय ने पाया कि तलाक अधिनियम, 1869 विवाह संबंधी मामलों में जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों पर न्यायाधिकार निर्धारित करता है। जब तक कि अधिनियम न्यायाधिकार स्थापित न करे, गिरजा अधिकरण (कई बार इसे चर्च कोर्ट भी कहा जाता है) का प्राधिकार और शक्ति के तहत ऐसे गिरजा अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या निर्णय न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं होंगे, जिसे वैवाहिक मुद्दों के संबंध में तलाक देने या निर्णय देने के संबंध में शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है (मोली जोसेफ बनाम जॉर्ज सेबेस्टियन)। इस प्रश्न के संबंध में कि एक पति द्वारा अपने पति को थप्पड़ मारना बर्बरता है, न्यायालय ने निर्णय दिया कि विवाह के पश्चात अपनी पत्नी को केवल थप्पड मारना बर्बरता नहीं है और यह तलाक का कारण नहीं हो सकता है (एग्नल वेलेंटाइन डी'सूजा बनाम ब्लैंचे एग्नेला पेयडेड)।

4.2.2. पारसी कानून पर विधान और उनकी न्यायिक समीक्षा

विवाह तथा तलाक पर विधान-

भारतीय संसद ने पारसियों के लिए एक विशेष कानून 'पादरी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936' बनाकर पारसी विवाह और तलाक को विनियमित किया है, जिसे 1988 में कुछ स्तर पर संशोधित किया गया है। इस अधिनियम में उस व्यक्ति को पारसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पारसी जोरेस्ट्रियन है। बहरहाल, आप ऐसी परिस्थिति के विषय में सोचते होंगे, जहां एक पारसी लड़का गैर-पारसी लड़की से विवाह करता है तो उनके बच्चों का धर्म क्या होगा? इसी प्रकार यदि एक पारसी लड़की गैर-पारसी लड़के से विवाह करती है तो उनके बच्चों का धर्म क्या होगा? इन प्रश्नों के उत्तर इस अधिनियम में नहीं है। इनका उत्तर जानने के लिए हमें न्यायिक पूर्व-निर्णयों को देखना होगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में दिए गए निर्णय में न्यायालय के अनुसार एक पारसी पिता और गैर-पारसी माता का बच्चा पारसी माना गया है, बशर्ते उसे पारसी धर्म में डाला जाए और वह जोरेस्टियन धर्म का अनुसरण करे। बहरहाल, पारसी माता और गैर-पारसी पिता का बच्चा पारसी नहीं होगा (सर दिनशाह मानिकजी बनाम सर जमशेदजी)।

इस अधिनियम के अनुसार, पारसी विवाह अवैध माना जाएगा, यदि निम्नलिखित तीन कृत्यों में से कोई भी किया जाए : (क) सगोत्रता या बंधुत्व के किसी भी स्तर में दोनों संविदाकारी पक्ष एक-दूसरे से संबंधित हैं (उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपनी बहन के बेटे की पत्नी से विवाह नहीं कर सकता है और एक महिला अपनी बहन की बेटी के पति से विवाह नहीं कर सकती है), (ख) यदि विवाह पादरी की उपस्थिति में पारसी रीति-रिवाजों 'आशीर्वाद' के अनुसार

संपन्न नहीं होता है और वहां पादरी के अतिरिक्त दो अन्य पारसी साक्षी नहीं होते हैं, (ग) यदि संविदागत पक्ष वयस्क नहीं हैं अर्थात् लड़का 21 वर्ष की आयु से कम है तथा लड़की 18 वर्ष की आयु से कम है। आपने किसी स्थिति के बारे में भी सोचा होगा, जहां एक अवयस्क पारसी लड़के एक पारसी लड़के से विवाह करता है और उनका बच्चा हो जाता है तो क्या उनका बच्चा नाजायज माना जाएगा? इसका उत्तर अधिनियम में दिया गया है और इसमें कहा गया है कि बच्चा जायज माना जाएगा।

विवाह के विधिवत संपादन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

इस अधिनियम के अंतर्गत संपन्न किया गया विवाह तत्काल विधिवत् संपादन किए जाने पर कार्यकारी पादरी द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता है। प्रमाण- पत्र पर उक्त पादरी, सविदाकारी पक्षों और वहां उपस्थित दो साक्षियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तत्पश्चात पादरी ऐसे प्रमाण-पत्र को निर्धारित शुल्क के साथ, जिसका भुगतान पति द्वारा किया जाता है, उस स्थान के रजिस्ट्रार के पास भेजता है, जहां ऐसे विवाह को विधिवत् रूप से संपादित किया जाता है। यदि कोई पादरी जानबूझकर तथा स्वैच्छा से इन शर्तों के विपरीत किसी विवाह करार को संपादित कराता है तो उसे साधार जेल से छह महीने की कैद हो सकती है या उसे जुर्माना देना पड़ सकता है या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

इस अधिनियम में तलाक के लिए दस स्थितियां निर्धारित की गई हैं : ये स्थितियां हैं-

(क) विवाह की गैर-संपूर्णता (non-consummation);

(ख) अस्वस्थ दिमाग;

(ग) यदि दुल्हन विवाह के समय गर्भवती है;

(घ) परस्त्रीगमन, बलात्कार या अप्राकृतिक अपराध किया गया हो;

(ड़) क्रूरता या निर्दयता;

(च) यौन रोग से संक्रमित या एक-दूसरे को गंभीर रूप से आहत करना;

(छ) सात साल की कैद;

(ज) दो वर्ष के लिए लापता होना;

(झ) एक-दूसरे से अलग रहना और कोई वैवाहिक अंतरसंबंध न होना; एवं

(ञ) किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होना। 1988 में इस नियम में एक और स्थिति को शामिल किया गया है अर्थात् आपसी सहमति से तलाक। यदि संविदागत पक्ष एक या अधिक वर्षों से एक-दूसरे से अलग रच रहे हैं और उनके लिए एक-दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है तो और वे आपसी रूप से सहमत है कि इस विवाह को समाप्त कर देना चाहिए तो न्यायालय ऐसी स्थिति में तलाक दे देता है।

न्यायालयों का न्यायाधिकार-

पारसियों के विवाह संबंधी विवादों को निपटाने के लिए पृथक न्यायालयों का भी गठन किया गया है। मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता के प्रत्येक उपनिवेशक नगरों के उच्च न्यायालयों में पारसी मुख्य वैवाधिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। इन मुख्य वैवाहिक न्यायालयों को पांच पारसी

शिष्टमंडलों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, जो शहर के स्थानीय निवासी है और वे पारसी वैवाहिक विवादों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। इन शिष्टमंडलों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसी प्रकार, पारसी वैवाहिक न्यायालयों का गठन उपनिवेशक शहर से भिन्न स्थानों पर भी किया जाता है और इन न्यायालयों को पारसी जिला वैवाहिक न्यायालय कहते हैं।

दत्तक ग्रहण पर कानून

विधान द्वारा पारसी दत्तक ग्रहण के संबंध में कोई विशेष कानून पारित नहीं किया गया है, केवल पारसी निर्वसीयत जायदाय अधिनियम, 1865 में इस संबंध में प्रावधान है, जिसमें एक दत्तक ग्रहण को पारसी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए, पारसी दंपत्ति, जो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, वे धार्मिक प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने धार्मिक प्रयोजनों (जहांगीर दाराभोय बनाम कैखुशूरी कवाशा) के लिए दत्तक ग्रहण अर्थात पालक के परंपरागत रीति को स्वीकार किया है। बहरहाल, बच्चे को दत्तक ग्रहण करने के इच्छुक पारसी दंपत्ति एक नए विधान यथा 'किशोर न्याय (शिशु देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत ऐसा कर सकते हैं।

उत्तराधिकार पर कानून-

पारसी उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दों के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में प्रावधान उपलब्ध है। इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व, पारसी निर्वसीयत अधिनियम, 1865 इन मुद्दों का निपटारा करता था। अब, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में एक पृथक् अभ्यास III है, जो पारसी निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित है। निर्वसीयत उत्तराधिकार से तात्पर्य उस उत्तराधिकार से है, जहां मृत व्यक्ति अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी वसीयत करके नहीं गया है।

4.2.3. यहूदी कानून में विधान तथा न्यायिक पूर्व-निर्णय की भूमिका

विवाह पर कानून तथा इसकी विधायी समीक्षा

भारत में यहूदियों में विवाहों के लिए कोई विशिष्ट विधान नहीं है, इसलिए इस संबंध में विधान की भूमिका सापेक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं के मामलों के विपरीत, किसी प्रकार के वैवाहिक राहत, जैसे तलाक तथा संभरण के लिए कोई विधिक प्रावधान नहीं है। बहरहाल, भारत में लंबे समय से यहूदियों के कानून के निर्माण में न्यायिक पूर्व-निर्णयों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस भाग में हम भारत में यहूदी कानून को आकार प्रदान करने में न्यायिक पूर्व-निर्णय की भूमिका पर पूर्णत: ध्यान केंद्रित करेंगे।

भारत में यहूदी कानून के विमास में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रमुख भूमिका अदा की है। उदाहरण के लिए इस न्यायालय ने यह नियम निर्धारित किया है कि एक यहूदी विवाह की प्रकृति तथा गिराव और वैवाहिक राहत जिसके लिए यहूदी पति या पत्नी पात्र हैं, को निर्धारण व्यक्तिगत कानूनों द्वारा किया जाएगा (मोजेले रॉबिन सोलोमन बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल आर.जे. सोलोमन)। वैवाहिक विवाद जैसे तलाक लेना आदि न्यायालय द्वारा भी निपटाए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में अनुप्रयुक्त किए जाने वाला कानून यहूदी कानून है, अपेक्षित न्याय के अनुसार

मामले की परिस्थितियों में अनुकूलनों सहित। किसी प्रकार के विवाद की सिंति में, किसी भी नियम के अंतर्गत निर्णय देने से पूर्व यहूदी समुदाय के रीति-रिवाजों पर विचार किया जाता है (रेचल बेंजमिन बनाम बेंजमिन सोलेमन बेंजमिन)।

यहूदी रीति-रिवाजों में से एक को मान्यता प्रदान करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां एक यहूदी लड़की (बगदादी यहूदी) सगाई की विधि को पूरा करती है, जिसे कसेप किद्दुशिम कहते हैं (यह विवाह के दो चरणों में से एक है और दूसरा चरण चुप्पाह है) तो, वह लड़की इस सगाई को तोड़ने के लिए पात्र है, यदि लड़का या दूल्हा सगाई की शर्तों को पूरा नहीं करता है। यहूदियों में सगाई की विधि विवाहित स्थिति के कुछ अधिकारों तथा दायित्वों की पुष्टि करती है। जब शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण सगाई टूट जाती है तो कसेप किद्दुशिम को तोड़ने के लिए तलाक का बिल निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होती है (डेविड सेमसन एजिकील बनाम नाजिया नूरी रूबेन)। लड़की पहले लड़के, जिसके साथ उसने सगाई की थी, से तलाक का बिल प्राप्त किए बिना किसी दूसरी यहूदी लड़के से विवाह कर सकती है।

तलाक के एक रोचक मामले में, ये यहूदी पति ने दो कारणों से अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की : (क) पूरे एक वर्ष के लिए दांपत्य संबंधों से निरंतर इनकार करना और (ख) पति की उपस्थिति में उसके माता-पिता का निरादर करना और पति का भी निरादर करना। चूंकि पति द्वारा मांगे गए तलाक के संबंध में लागू सटीक कानून के विषय में कुछ अनिश्चितता थी, इसलिए न्यायालय ने प्राचीन और आधुनिक काल में विवाह और इंग्लैंड और अमरीका में प्रयोग हो रहे परंपरागत विधि का संदर्भ लिया। आधुनिक समय में तलाक की इन स्थितियों को (क) परित्याग (Desertion) और (ख) निर्दयता (Cruelty) कहते हैं। इस मामले में, न्यायालय ने पाया कि पति ने सहवास न करने के लिए जानबूझकर न करने से इनकार नहीं किया है, क्योंकि सहवास करने से पूर्व और पश्चात का समय कथित नहीं है, यह पाया गया कि दोनों के बीच में सहवास हुआ था। दूसरे आधार में भी, न्यायालय ने पाया कि लड़की ने अपने ससुर का निरादर नहीं किया है, बल्कि वह केवल अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती थी। जब पति ने अपने ससुर और पति के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए तो यह निर्दयता नहीं हो सकती है (बेंशन जोसेफ हेइमा बनाम शेरोन बेंशन हेइमा)।

वसीयतनामे पर कानून

न्यायालय ने 'वसीयतनामे' के संबंध में भी यहूदी कानून की जांच की है, जिसका तहत एक व्यक्ति अपनी संपत्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी अन्य को हस्तांतरित कर सकता है। इस संबंध में यह निर्णय दिया गया था कि मौजूदा तथा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उपहार या वसीयत के विषय-वस्तु को परिभाषित किया जाना चाहिए। किसी अनिश्चित या भावी संपत्ति को उपहार या वसीयत को वैध रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, साझेदारी संपत्ति का भाग अनिश्चित है। किसी व्यवहार को पूरा करने के लिए वसीयत वाले अभिलेख की सुपुर्दगी ग्रहीता को किया जाना अनिवार्य है। वसीयत को ग्रहीता या रिक्थग्राही या उसके कुछ एजेंसों के समझा, पढ़ा या उसकी विषय-वस्तु का वर्णन किया जाना चाहिए। यदि इनमें से किसी भी अनिवार्य अपेक्षा का अनुपालन या अवलोकन नहीं किया जाता है तो न्यायालय द्वारा वसीयतनों में को लागू नहीं किया जा सकता है (मेनेम मेशा बनाम मेनेम मिस्सा)।

क्रियाकलाप 4.2

1. ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म से संबंधित नियमों और अधिनियमों का एक छोटा संचयन तैयार करें।
2. भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों की बेवसाइटों को देखें और उनमें ईसाई, पारसी तथा यहूदी धर्म के वैवाहिक विषयों पर न्यायालय के निर्णयों का पता लगाएं।

पाठगत प्रश्न 4.2

1. ईसाई तथा यहूदी व्यक्तिगत कानून को विनियमित करने के लिए भारतीय संसद द्वारा निर्मित मुख्य विधान क्या हैं?
2. पारसी कानून से संबंधित विधान के निर्माण के महत्व की चर्चा करें।
3. भारत में पारसियों और यहूदियों के व्यक्तिगत कानून के निर्माण में न्यायिक 'पूर्व-निर्णय' किस प्रकार सहायक हैं।
4. क्या आप सोचते हैं कि कानून प्रणाली में विधान तथा न्यायिक 'पूर्व-निर्णय' की महत्वपूर्ण भूमिका है और यदि हां तो क्यों?

रिक्त स्थान भरें-

1. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम को वर्ष ..... में संहिताबद्ध किया गया था। (1872/ 1876/ 1878)
2. ईसाई तलाक पर कानून को 'तलाक अधिनियम .....' के नाम से संहिताबद्ध किया गया था।

सही/ गलत बताइए-

3. भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 ईसाइयों और पारसियों की अचल संपत्ति के निर्वसीयता तथा वसीयती उत्तराधिकार को शासित करता है। (सही/गलत)
4. 'न्यायिक पूर्व-निर्णय' ने भारत में पारसियों और यहूदियों के व्यक्तिगत कानून के निर्माण में सहयोग प्रदान किया है। (सही/गलत)

4.3. मिश्रित कानून प्रणाली

'मिश्रित कानून प्रणाली' की परंपरागत अवधारणा एक से अधिक कानूनी प्रणालियों का मिश्रण है। अन्य शब्दों में, यदि एक कानूनी प्रणाली को 'मिश्रित कानून प्रणाली' कहा जाता है तो उसमें समान कानून प्रणाली होगी और साथ-ही-साथ सिविल कानून प्रणाली या समाजवादी कानून प्रणाली, परंपरागत कानून प्रणाली या धार्मिक कानून प्रणाली शामिल होगी। विश्वभर में विद्यमान कानून प्रणालियों में धार्मिक कानून, स्वेदशी रीति-रिवाजों, व्यापार कानून, धर्मवैधानिक कानून,

रोमन कानून तथा न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून (पूर्व-निर्णय) शामिल हैं। उदाहरण के लिए सिचिलीज, दक्षिण अफ्रीका, लाइसियाना (यू.एस. में), फिलिपींस, ग्रीस, कनाडा में क्यूबेक पेर्टो रिको, स्कॉटलैंड तथा भारत आदि देशों में 'मिश्रित कानून प्रणाली' का अनुसरण किया जाता है, क्योंकि इन देशों की समग्र कानून प्रणाली में एक से अधिक मुख्य कानून प्रणालियां विद्यमान हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रणाली को भी 'मिश्रित कानून प्रणाली' कहा जा सकता है, क्योंकि आप इसमें समान कानून के साथ-साथ सिविल कानून सिद्धांतों को भी पाएंगे। हम इस बात की सराहना कर सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका तथा अन्य इस्लामिक देशों में परंपरागत कानून के शक्तिशाली तत्व अभी विद्यमान हैं और इन्हें विविध स्तरों में देखा जा सकता है। कई बार, आप 'मिक्सड कानून प्रणाली' का नाम भी सुनते हैं और यह मिश्रित कानून प्रणाली को ही प्रदर्शित करता है।

आप यह सोचते होंगे कि एक प्रणाली को मिश्रित बनाने के लिए किसी मात्रा में अनुपात की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिश्रण (Hybrid) से तात्पर्य दो या अधिक भिन्न किस्मों या आनुवांशिक पदार्थों का मिश्रण है। कानून में भी, आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। किंतु यहां सटीक ब्यौरे के साथ वास्तविक मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में टेक्सास, कैलिफोर्निया तथा लुइसियाना राज्य हैं। टेक्सास और कैलिफोर्निया में उनकी विधिक प्रणालियों में 'कुछ' सिविल कानून हैं, जबकि लुइसियाना में सिविल कानून की मात्रा अधिक है। भारत में, यदि आप गहन अवलोकन करें तो पाएंगे कि यहां सामान्य कानून का अनुसरण किया जाता है, क्योंकि हमारे यहां न्यायिक पूर्व-निर्णय और जन-याचिकाओं की प्रणाली विद्यमान है। क्या यह तथ्यात्मक सत्य नहीं है कि हमारे यहां अनेक जांच आयोग, प्रशासनिक अधिकरण (सिविल कानून की विशेषताएं), हिंदू, मुस्लिम, यहूदी तथा पारसी धर्म के परंपरागत, व्यक्तिगत कानून तथा हमारे संविधान में राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धांतों में 'समाजवादी कानून' विद्यमान हैं।

'मिश्रित कानून प्रणाली' की उत्पत्ति अपनी स्वयं की भाषा, धर्म, ऐतिहासिक अनुभवों और कम-से-कम अपने कानूनों तथा रीति-रिवाजों को बचाने के लिए की गई। इस दृष्टिकोण को अपनाने से अपनी मौलिक कानून प्रणाली को बचाया जा सकता है, जिसमें राजनीतिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह इस विचारधारा की लागतों और लाभों पर विचार कर सकता है। एक समूह जो अपने मौलिक कानून प्रणाली को सरंक्षित रखना चाहता है और दूसरा समूह, जो यथावत स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, के बीच शक्ति के राजनीतिक प्रदर्शन में जीत चाहे किसी की भी हो, इसमें 'मिश्रित कानून प्रणाली' के निर्माण के प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, ब्वेबेक के फ्रेंच कनैडियन कनाडा राज्य के ऊपर निर्णयज कानून की अनुमति नहीं देते हैं और इसीलिए कनाडा के भीतर भी, आप 'सिविल कानून प्रणाली' पाएंगे। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने उपनिवेशीय साम्राज्य से सामान्य कानून की विरासत प्राप्त हुई है। बहरहाल, भारत में विकास जैसे ग्राम न्यायालयों (स्थानीय कानून प्रणाली, जिसे अब कानून व्यवस्था द्वारा अब मान्यता प्रदान की गई है), 'लोक अदालत' (लंबे समय से गुजरात में अनुसरण की जा रही स्थानीय विधि और जिसे अब कानून द्वारा मान्यता प्रदान की गई है), प्रशासनिक अधिकरण, विभिन्न धर्मों के वैवाहिक न्यायालयों ने स्थानीय तथा सिविल कानून प्रणालियों की प्रभावपूर्णता और स्वीकार्यता को स्थापित किया है।

पाठगत प्रश्न 4.3

1. मिश्रित कानून प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
2. कुछ देशों के नाम बताएं जो 'मिश्रित कानून प्रणाली' का अनुसरण कर रहे हैं।
3. क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रणाली और यूरोपीय संघ की कानून प्रणाली 'मिश्रित कानून प्रणाली' का अनुसरण करते हैं? दो कारण प्रस्तुत करें।

सही/ गलत बताइए

4. भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने उपनिवेशीय साम्राज्य से सामान्य कानून की विरासत प्राप्त हुई है। (सही/ गलत)
5. 'मिश्रित कानून प्रणाली' वह है, जिसमें एक से अधिक कानून प्रणालियां विद्यमान होती हैं। (सही/ गलत)
6. 'मिक्सड कानून प्रणाली' शब्दों का प्रयोग, 'मिश्रित कानून प्रणाली' के लिए किया जाता है। (सही/ गलत)

आपने क्या सीखा

- भारत में ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों द्वारा बड़े लंबे समय से परंपरागत नियमों का अनुसरण किया जा रहा है। इनमें से अनेक नियमों को केंद्र/ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधानों में शामिल किया गया है या न्यायालयों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।
- भारत में यहूदी अपने स्वयं के परंपरागत नियमों द्वारा शासित हैं, क्योंकि परिवार तथा वैवाहिक संबंधी के मुद्दों पर उनके लिए कोई विधान नहीं है। तथापि, न्यायपालिका ने उनके धार्मिक और नैतिक पाठों में समाविष्ट उनके अनेक परंपरागत नियमों को मान्यता प्रदान की है।
- ईसाई और पारसी धर्म में व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित विधानों के कुछ उदाहरण हैं :

  (क) भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872;

  (ख) भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925;

  (ग) पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936;

  (घ) भारतीय तलाक अधिनियम, 1869
- 'मिश्रित कानून प्रणाली' में एक से अधिक कानून प्रणलियों का मिश्रण है। वर्तमान समय में, विश्व में कोई भी कानून प्रणाली ऐसी नहीं है, जो एक प्रकार की कानून प्रणाली से बनी हो और इस संबंध में भारत कोई अपवाद नहीं है।

पाठांत प्रश्न

1. ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के व्यक्तिगत कानून में 'रीति-रिवाजों' की भूमिका पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि रीति-रिवाज उनके जीवन में किसी प्रकार भी भूमिका अदा नहीं करते हैं।
2. ईसाइयों और पारसियों के व्यक्तिगत कानून पर विधान की कुछ मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।
3. 'मिश्रित कानून प्रणाली' विश्व की अन्य कानून प्रणालियों से किस प्रकार भिन्न हैं?
4. ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के परंपरागत नियमों को मान्यता प्रदान करने में न्यायालयों की भूमिका का आकलन करें।
5. कॉलम 'क' में दिए गए विधानों और रीति-रिवाजों को कॉलम 'ख' के अनुप्रयोगों के साथ मिलाएं :

(क)	(ख)
(क) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	पारसी
(ख) आशीर्वाद समारोह	यहूदी
(ग) कसेफ किद्दुसिम	ईसाई
(घ) भारतीय तलाक अधिनियम, 1869	ईसाई तथा पारसी

परियोजना

अपने जिला का सर्वेक्षण करें और ईसाई, पारसी तथा यहूदी समुदाय के 3-5 लोगों की पहचान कीजिए। यदि आपको अपने जिला नगर में कोई पारसी या यहूदी नहीं मिलता है तो चिंता न करें। किंतु आपको अवश्य ही कुछ ईसाई लोग मिल जाएंगे। उनसे उनके परंपरागत नियमों के विषय में जानने का प्रयास करें, जिनका अनुसरण वे लंबे समय से कर रहे हैं और विधानों और न्यायालयों द्वारा उन्हें मान्यता प्रदान की गई है।

क्र.स.	व्यक्ति का नाम	उनके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले रीति-रिवाज	विधान/न्यायपालिका द्वारा मान्यता प्रदान किए गए नियम
1			
2			
3			
4			
5			

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

4.1

1. भारत में ईसाईयों के रीति-रिवाज हैं :
   (क) अवयस्क विवाह नहीं कर सकते हैं;
   (ख) विवाह के दोनों पक्षों को संबंधों के स्तर को प्रतिबंधित करते हुए विवाह के परिणामों का ज्ञान होना चाहिए;
   (ग) रेखीय ज्येष्ठाधिकार का नियम; और
   (घ) केरल के सीरियन ईसाइयों द्वारा दामाद को दत्तक लेना।
2. पारसियों ने भारत की स्थानीय परंपराओं को अपना लिया है, क्योंकि :
   (क) उनके पहले बार भारत आने पर उन्हें इस शर्त के साथ यहां रुकने की अनुमति प्रदान की गई थी कि वे भारत के उस स्थान की परंपराओं का अनुसरण करेंगे, जहां वे रहने लगे हैं।
   (ख) वे अस्थायी अप्रवासी नहीं थे, किंतु वे अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने के कारण यहां आए थे। इसलिए लंबे समय के लिए यहां रहने और यहां के स्थानीय रीति-रिवाजों को आदर प्रदान करने के लिए उन्होंने इन रीति-रिवाजों को अपनाया।
3. भारत में यहूदियों के वैवाहिक रीति-रिवाज हैं :
   (क) विवाह को एक सिविल करार माना गया है और साथ ही साथ कुछ दायित्वों के निर्वाहन के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता भी।
   (ख) सगाई और विवाहित महिला दो भिन्न चरण है और एक-दूसरे का अर्थ भी भिन्न है।
   (ग) तलाक चार प्रकार के होते हैं; और
   (घ) विवाह के लिए मात्र दोनों पक्षों की सहमति पर्याप्त नहीं है, कुछ कानूनी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होती हैं, जैसे कसेप किद्दुशिम।
4. **रिक्त स्थान भरें**

1. रीति-रिवाज
2. हिंदू
3. दत्तक ग्रहण

4.2

1. ईसाइयों और यहूदियों के व्यक्तिगत कानून को विनियमित करने के लिए भारतीय संसद द्वारा तैयार मुख्य विधान हैं :
   (क) भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872;

(ख) तलाक अधिनियम, 1869;

(ग) किशोर न्याय (बाल देख-रेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2006;

(घ) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925;

(ड़) पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936; और

(च) पारसी निर्वसीयत उत्तराधिकार अधिनियम, 1865

2. पारसियों के लिए उनके व्यक्तिगत कानून के आधार पर तैयार विधानों की जांच करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि :

(क) विधान ने पारसियों के अस्पष्ट परंपरागत नियमों को वर्गीकृत किया है;

(ख) सभी नियमों को एक ही स्थान पर संहिताबद्ध किया गया है और अब नियमों का पता लगाना आसान है;

(ग) विधान प्राधिकारात्मक हैं और यह सभी पारसियों के लिए बाध्यकारी हैं;

(घ) यदि कोई पारसी विधान का अनुपालन नहीं करता है तो उसे दंड दिया जा सकता है।

3. भारत में पारसियों और यहूदियों के व्यक्तिगत कानून को न्यायिक पूर्व-निर्णयों द्वारा निम्नानुसार तैयार किया गया है :

(क) न्यायपालिका ने यह मान्यता दी है कि एक पारसी माता और गैर-पारसी पिता का बच्चा पारसी होगा।

(ख) पारसियों द्वारा दत्तक ग्रहण की परंपरागत विधि को न्यायालय ने स्वीकार किया है;

(ग) यहूदियों द्वारा संपत्ति के उपहार को वसीयत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

(घ) जहां अपनी शर्तों को पूरा न करने के कारण सगाई अमान्य हो जाती हैं, वहां 'कसेप कुद्दुशिम' के प्रभाव को समाप्त करने के लिए तलाक का बिल निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

4. जी हां, मुझे लगता है कि न्यायिक प्रणाली में विधान तथा न्यायिक पूर्व-निर्णयों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि :

(क) यदि विधान नहीं होता तो न्यायालय को इन नियमों का लागू करने में कठिनाई होती;

(ख) साधारण व्यक्ति के लिए न्यायालय में परंपरागत नियमों को सिद्ध करना कठिन होता;

(ग) न्यायिक पूर्व-निर्णय भविष्य में समान प्रकार के मामलों में कानून बनाने का कार्य करते हैं।

5. **रिक्त स्थान भरें**

1. 1872
2. 1869
3. सही
4. सही

टिप्पणी

4.3

1. मिश्रित कानून प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं-
   (क) एक से अधिक कानूनी प्रणालियों की उपस्थिति;
   (ख) विभिन्न कानूनी प्रणालियों के मिश्रण के अनुपात का निर्धारण नहीं किया जा सकता है; और
   (ग) यह स्थानीय कानून प्रणाली को संरक्षित रखता है।
2. मिश्रित कानून प्रणाली का अनुसरण निम्नलिखित देशों द्वारा किया जा रहा है-
   (क) सिचिलीज
   (ख) दक्षिण अफ्रीका
   (ग) फिलिपींस
   (घ) ग्रीस और
   (ड़) भारत
3. जी हां। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रणाली और यूरोपीय संघ द्वारा 'मिश्रित कानून प्रणाली' का अनुसरण किया जा रहा है-
   (क) इनमें कानून प्रणाली की एक से अधिक विधियां कार्य कर रही हैं; और
   (ख) ये दोनों प्रणालियां विभिन्न लोगों और संस्कृतियों से तैयार हुई हैं, इसलिए इनके पारंपरिक कानूनी प्रणालियों को विधिवत रूप से स्थान तथा मान्यता प्रदान की गई है।
4. सही
5. सही
6. सही